



कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड-495001

फोन : 07752-227624, फैक्स : 07752-221385 E-mail : ccf.bilaspur-cg@gov.in

क्रमांक / तक. / 2105

बिलासपुर, दिनांक 15-09-2020

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(भू-प्रबंध)
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

विषय :- **Diversion of forest land non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for CONSTRUCTION work of 132 KV DCDS line to provide supply from 132/33 KV SS kondatarai to M/s NTPC Ltd. area- 9.589 ha.- regarding.**

पंजीयन क्रमांक – FP/CG/TRANS/39462/2019

संदर्भ :- आपका पत्र क्र. / भू-प्रबंध/विद्युत/ एल.एम.-479-176/1523 रायपुर दिनांक 21.06.2019 एवं व.म.अ. रायगढ़ का पत्र क्र./तक./1114 दिनांक 10.09.2020

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन लाईन कंपनी लिमिटेड द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल अंतर्गत Construction work of 132 KV DCDS line to Provide supply from 132/33 KV SS Kondatarai to M/s NTPC हेतु कुल क्षेत्र 9.589 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव निम्नानुसार है –

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव			
क्र.	अभिलेख का विवरण	पृ.क्र.	विवरण
1	आवेदक विभाग का मांग पत्र	1-06	फार्म A भाग –1 में संलग्न है ।
2	प्रपत्र । में प्रस्ताव का रजिस्ट्रेशन कोड (वृत्त कोड / वन मण्डल कोड / शाखा कोड / वर्ष / पंजीयन क्र	07-16	पंजीयन क्र. FP/CG/TRANS/39462/2019 Date 21.06.2019 Attached
3	वन क्षेत्र विवरण	17-19	संलग्न है ।
4	गैर वन क्षेत्र विवरण	20-22	संलग्न है ।
5	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल Printed टोपोशीट 1: 50000 स्केल पर नक्शा ।	23-24	संलग्न है ।
6	वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप	25-33	संलग्न है ।
7	प्रपत्र –4 में प्रस्ताव	34-52	संलग्न है ।
8	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप	53-63	संलग्न है ।

9	वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र ।	64-65	संलग्न है ।
10	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोग प्रमाण पत्र	66-67	संलग्न है ।
11	पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र	68-82	आवश्यकता नहीं है ।
12	वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र 1ए एवं 1बी में)	83-86	संलग्न है ।
13	कास्ट / बेनिफिट एनालिसिस	87	आवश्यकता नहीं है ।
14	चयनित गैर वन क्षेत्र (वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु) का विवरण	88	वैकल्पिक वृक्षारोपण बिगड़े वन क्षेत्र में प्रस्तावित है ।
15	गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा	89	आवश्यकता नहीं है ।
16	स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना(शासन द्वारा अनुमोदित दरों पर मय 10% वार्षिक वृद्धि के)	90-99	परिक्षेत्र अधिकारी/उप वनमण्डलाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त योजना संलग्न है ।
17	वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र	100-101	वनमण्डलाधिकारी के हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र संलग्न है ।
18	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण	102-103	नहीं किया गया, प्रतिवेदन संलग्न है ।
19	अधिनियम उल्लंघन के अधिकारियों का विवरण	104-105	प्रश्न ही नहीं उठता ।
20	अधिकारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही	106-107	आवश्यकता नहीं है ।
21	गैर वन भूमि अनुपलब्धता मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र	108-111	आवश्यकता नहीं है ।
22	कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान	112	संबंधित नहीं है ।
23	रिक्लेमेशन प्लान	133	संबंधित नहीं है ।
24	माइनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल माइनिंग प्रकरण में)	114	संबंधित नहीं है ।
25	व्यवस्थापन प्लान	115	संबंधित नहीं है ।
26	वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र - III में)	116-121	संलग्न है ।
27	ऐतिहासिक प्रमाण पत्र	122-123	संलग्न है ।
28	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र	124-129	संलग्न है ।
29	जिले की कुल वन भूमि रकबा हे. में	130-131	152959.600 हे.
30	व.स.अ. - 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे0 में	132-135	3381.001 हे.
31	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी Category की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा हे. में ।	136-137	254.131 हे.
32	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी	138-139	संलग्न है ।
33	15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (केवल खनन प्रकरण में)	140	संबंधित नहीं है ।

34	वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र	141-145	संलग्न है।
35	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र	146-148	संलग्न है।
36	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र	149-151	संलग्न है।
37	Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance.	152-153	संलग्न है।
38	A detailed note on Soil Productivity or the lack of it	154-155	संलग्न है।
39	परियोजना के किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र	156-157	संलग्न है।
40	Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 - Stipulation of additional condition (The user agency shall establish and operate a Vocational Training Institute)	158	संबंधित नहीं है।

राज्य शासन से संबंधित अभिलेख

41	पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क कर विवरण (प्रपत्र – I में)	159-162	संलग्न है।
42	वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत	163	आवेदित वनक्षेत्र में पाये जाने वाले पक्षियों के संवर्धन हेतु प्रकरण में वन्यप्राणी योजना तैयार कर पृथक से अनुमोदन हेतु प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, वन्यप्राणी को प्रेषित किया जायेगा।
43	विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण	164-165	संलग्न है।
44	प्रस्ताव में अन्य (Misc.) कमियों का विवरण :-	166	—

संलग्न :- प्रस्ताव एवं डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट 4 प्रतियों में।


मुख्य वनसंरक्षक

बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

पृ. क्र./तक./ 2106

/2020/बिलासपुर, दिनांक :- 15-09-2020

प्रतिलिपि :-

- वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- Executive Engineer, CSPTCL, EHT Construction division Bilaspur, Near Tifra Overbridge Bilaspur (C.G.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


मुख्य वनसंरक्षक

बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-3

(संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित मुख्य वनसंरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

आवेदनकर्ता, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन लाईन कंपनी लिमिटेड द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल के अंतर्गत एन.टी.पी.सी. हेतु ट्रांसमिशन लाईन के लिए 9.589 हे. वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदित आरक्षित एवं राजस्व वनभूमि 9.589 हे. Transmission Line का निरीक्षण नहीं किया गया है।

15. क्या संबंधित मुख्य वनसंरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वनसंरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

आवेदित वनक्षेत्र में पाये जाने वाले पक्षियों के संवर्धन हेतु प्रकरण में वन्यप्राणी योजना तैयार कर पृथक से अनुमोदन हेतु प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, वन्यप्राणी को प्रेषित किया जायेगा।

अनुशंसित


(अनिल सोनी) भा.व.से.

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर
१८/१२